

राजस्थान सरकार  
न्याय विभाग

क्रमांक प.2(6) मूल्यांकन/न्याय/2018/174

जयपुर, दिनांक 17-09-2021

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/  
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. जिला कलक्टर  
(जिला नोडल अधिकारी, लाईट्स)

**विषय:**—लाईट्स सॉफ्टवेयर में न्यायिक प्रकरणों में Case Number Record (CNR) का इन्द्राज/अद्यतन करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लाईट्स सॉफ्टवेयर में प्रशासनिक/यूनिट(विभागाध्यक्ष)/कार्यालय स्तर पर Case Management => F1 Case Registration के द्वारा न्यायिक प्रकरणों में Case Number Record (CNR) इन्द्राज/अद्यतन की सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि लाईट्स सॉफ्टवेयर में Case Number Record (CNR) इन्द्राज/अद्यतन की कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का श्रम करें।

भवदीय  
17/09/2021  
शासन संयुक्त सचिव